प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गोपाल कंसारा पुत्र श्री उदयलाल जी निवासी देवगढ मदारीया जिला राजसमन्द		राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर
प्रकरण अपील		27/2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/00087

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

18.09.2019	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 26.09.2019 को जवाब/बहस हेतु पेश हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	
26.09.2019	अपीलांट अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)जालोर का जवाब प्राप्त हुआ। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)जालोर ने कथन किया कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र 22.07.2019 को प्राप्त हुआ। आवेदित सूचना राजस्व शाखा एवं भू-अभिलेखा शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण शाखा प्रभारीयो को सूचना संकलित कर उपलब्ध कराने के निर्देश जरिये पत्रांक/आ.टी.आई/2019/445-46 दिनांक 22.07.2019 के द्वारा दिये गये।शाखा प्रभारी शाखा द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचनाऐ विभिन्न तहसीलदारान के कार्यालय से संबंधित होने के कारण उन्हे पत्रांक/2263-71 दिनांक 07.08.2019 के जरिये सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये जिसकी प्रति अपीलांट को ही पत्रांक/2272-73 दिनांक 07.08.2019 को भिजवाई गई है।साथ ही शाखा प्रभारी भू-अभिलेख द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 2 की सूचना अपीलांट को उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक/भू.अ.सू.अ./2019/4062 दिनांक 07.08.2019 के जरिये निर्देश दिये गये।अपीलांट द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उन्हे वांछित सूचनाऐ संबंधित अधिकारियो द्वारा उपलब्ध नही कराई गई है।इस संबंध में निवेदन है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में रेस्पोडेन्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियमो की पालना कर दी गई है।लेकिन संबंधित तहसीलदारान द्वारा अपीलांट को सूचनाऐ उपलब्ध नही कराने के लिये वे स्वंय उत्तरदायी है। रेस्पोडेन्ट द्वारा इस में किसी प्रकार की कोताही नही बरती गई है।अत:अपील अपीलांट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सारहीन होने से खारिज फरमावे। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब का अध्ययन किया गया।जिसके अनुसार आवेदक श्री गोपाल कंसारा द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.072019 आवेदन पत्र पेश करने पर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)जालोर द्वारा पत्रांक/आ.टी.आई/2019/445-46 दिनांक 22.07.2019 के द्वारा सूचनाऐ/दस्तावेजात उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी अधिकारी राजस्व/भू.अभिलेख कार्यालय हाजा को लिखा गया।जिसकी पालना में राजस्व शाखा प्रभारी द्वारा पत्रांक/राजस्व/2019/2263-71 दिनांक 07.8.2019 के जरिये आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु समस्त तहसीलदारान को सूचना का अधिकार की धारा 6(3)के तहत आवेदन स्थानान्तरित किया गया।जिसकी सूचना पत्रांक/राज/2019/2272-73 दिनांक	

07.08.2019 के जरिये आवेदक को भी भिजवाई गई है।साथ ही भू-अभिलेख शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा पत्रांक/भू.अ./सू.अ/2019/4062 दिनांक 07.08.2019 के जरिये आवेदक को बिन्दु संख्या 2 की सूचना उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार (भू.अ.)जालोर को लिखा गया।उपरोक्त अनुसार समस्त तहसीलदारान द्वारा आवेदक को समयावधि में सूचना उपलब्ध नही करवाई जाने पर आवेदक द्वारा यह अपील रेस्पोडेन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।रेस्पोडेन्ट द्वारा जबाव में कथन किया है कि अपीलांट के प्रार्थन पत्र के निस्तारण में सूचना का अधिकार अधिनियमो की पालना की गई है। लेकिन संबंधित तहसीलदारान द्वारा अपीलांट को सूचनाऐ उपलब्ध नही कराने के लिये तहसीलदार स्वंय् उत्तरदायी है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चाही गई सूचना बाबत धारा 6(3)के तहत आवेदन स्थानान्तरित कर दिया गया था।ऐसे में जिन कार्यालयो को आवेदन स्थानान्तरित किये गये थे,आवेदक को उन्ही कार्यालय से सम्पर्क करना था यथा संधारित सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व भी उन्ही कार्यालयो का था।

अत:अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय ने धारा 6(3)के तहत कार्यवाही पूरी कर देने से उनके विरूद्ध यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 17:00:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: